ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 115-119

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

ग्राम पंचायतों की यात्रा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता : समस्याएं और संभावनाएं

1. डॉ0 संजय यादव
2. डॉ0 प्रवीण कुमार गुप्ता
3. डॉ0 कृष्ण मुरारी सिंह

1. सहायक आचार्य– जनजातीय अध्ययन, कला, संस्कृति एवं लोक साहित्य, 2. सहायक आचार्य– योग विज्ञान विभाग, 3. सहायक आचार्य– दर्शनशास्त्र विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म0प्र0) भारत

Received-30.10.2023, Revised-06.11.2023, Accepted-11.11.2023 **E-mail: drsy94@gmail.com**

सारांशः ***लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमे तंत्र पर लोक की प्रधानता होती है। शासन के सभी स्तरों में लोक (जनता) की भागीदारी ही लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित करता है। वैश्विक फलक पर आज जो राज्य अपने को कल्याणकारी राज्यों की श्रेणी में रखते है उनमे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अंगीकार करने की प्रतिस्पर्धा है। विश्व का श्रेष्ठ और प्राचीनतम लोकतंत्र शास्वत परम्परा का संरक्षण और संवर्धन करने वाला भारत वैश्विक फलक पर लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण का उतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। 73वे संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत की ग्रामीण संरचना को सबल,सफल और सशक्त बनाने का अनुपम प्रयोग किया गया। साथ ही साथ महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता सुनिश्चित करने का एक सशक्त आधार प्रदान किया गया। पंचायत स्तर पर महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत संवैधानिक संरक्षण दिया गया। इससे उनकी सशक्त राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुई। राजनितिक सहभागिता से उनकी सामाजिक तथा आर्थिकं स्थिति में आमूल परिवर्तन दृष्टिगत है। महिला सहभागिता ने राजनीति की दिशा को प्रभावित किया तथा राजनीति ने महिलाओं की दशा एव दिशा को प्रभावित एव परिवर्तित किया। प्रस्तुत लेख के माध्यम से पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता और उनके समक्ष उपस्थित समस्याओ और चुनौतियों को रेखांकित कर उनके समाधान के उपायों पर विचार प्रस्तुत किया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– लोकतंत्र, पंचायत, विकेंद्रीकरण, सहभागिता , सशक्तिकरण, स्वशासन, लोकतंत्र शास्वत परम्परा, संरक्षण, संवर्धन।

प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों पर अवलंबित है–

1. 73वें संविधान संशोधन में अंतर्निहित विशिष्ट प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. पंचायत राजव्यवस्था के आधार पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तथा उनमे विकसित सोंच का अध्ययन करना।
3. महिला और पुरुष प्रतिनिधियों के कार्यों में अंतर का अवलोकन।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, अनुभाविक एव विश्लेषणात्मक पद्धतियों का अवलम्ब लिया गया है। विभिन रचनाओं, शोधपत्रों, समाचार, पत्र, पत्रिकाओ, सरकारी आकंडे, विभिन्न संचार माध्यमो का सहयोग लिया गया है।

भारत की प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास के अवलोकन में स्थानीय व्यवस्था की अनूगूँज प्रतिध्वनित होती है। पंचायत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की संवाहक रही हैद्य यह हमारी गहन गवेषणा के आधार पर व्यवस्था निर्माण की क्षमता का घोतक है। यह भारतीय समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता एव स्वतंत्रता के प्रति अगाध श्रद्धा का परिचायक है। पञ्च का भारतीय परम्परा में अतिशय महत्व है। पञ्च से पंचायतों का निर्माण तथा पञ्च महाभूतो से संसार का विस्तार हुआ। शरीर में पंचतत्वों विशिष्ट भूमिका है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पंचायतो को विशेष महत्व प्राप्त है। पंचायते लोकतंत्र में विकास की प्रथम सोपान समझी जाती है। सामुदायिक विकास कार्यकर्मो को निरंतरता प्रदान करने सता का विकेंद्रीकरण करने तथा अपेक्षित जनसहयोग प्राप्त करने के उदेद्श्य से पंचायती राज व्यवस्था को मूर्त स्वरुप प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति (1959) के प्रतिवेदन ने भारत में पचायती राज व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने के उददेशय से पंचायतो में महिलाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार तथा जागरूकता के लिए पंचायती राज संस्थाओ का अभिनव प्रयोग किया गया। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक रूप से देश में लागू कर दिया गया। संविधान का 73वा संशोधन इस दिशा में एक अतुलनीय प्रयास रहा। इस संशोधन के उपरान्त संविधान के अनुछेद 243(डी) (3) एव (4) में यह उपबन्धित किया गया की प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई स्थान (जिसमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय महिला) महिलाओ के लिए संरक्षित रहेंगे। इस संरक्षण से पंचायतो में महिलाओं की सहभागिता को देश के अधिकांश राज्यों (उत्तर प्रदेश ,मणिपुर ,गोवा, अरुणाचल प्रदेश, एवं पांच केन्द्रशासित प्रदेशो को छोडकर) ने महिला संरक्षण को तैतीस प्रतिशत से बढाकर पचास प्रतिशत कर दिया। आज देश के 660 जिला पंचायतो 6900 माध्यमिक पंचायतो तथा 2:6 लाख ग्राम पंचायतो में 32 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि है।[1]

वस्तुतः राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था में राष्ट्र प्रमुख स्थिर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतो के सशक्तिकरण एवं उनके निर्णयों व नीति विधानों का सम्मान किये जाने के शास्त्रोकत विमर्श विद्यमान रहे है। वैदिक काल से लेकर उपनिवेशवाद तक स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थानों से निर्देशित शासन की परम्परा रही है।

वैदिक कालीन राज लघु गणराज्य– भारत जनपदों का देश है। जनपद ग्रामो के समूह है। गाँव और जनपद हमारे चारो ओर विस्तृत है। अधिकांश जन गाँवों और जनपदों में बसते है। ये गाँव और बस्तियाँ हमारी संस्कृति की धात्री है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पंचायत शब्द का उलेख मिलता है जिसका आशय पांच प्रबुद्ध लोगो के समूह से लिया जाता है। इन्हे पञ्च परमेश्वर की संज्ञा प्राप्त थी। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदथ के रूप में गाँव की स्वशासन संस्थाओ का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे।[2] चार्ल्स टी मेटकाफ ने अपने 25 वर्षो के अध्ययन के बाद भारत की ग्रामीण संस्थाओ द्वारा निर्देशित ग्रामो को लघु गणराज्य की संज्ञा दिया। उनका आग्रह था कि स्वशासन के कारण ही भारतीय गाँव बाहरी दबाव से मुक्त रहे। अनेक

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

आक्रमणों के बाद भी इनकी संस्कृति अक्षुण रही। इस काल की प्रशासनिक इकाई पांच भागों में विभक्त थी– कुल–ग्राम–विश–जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मिश्रित रूप था। कालांतर में अनेक जनतान्त्रिक संस्थाओं का उदय हुआ जिसमे सभा समिति और विदथ प्रमुख थे द्यइन संस्थाओं में राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विषयों पर चर्चा होती थी। इस काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा संभ्रांत और श्रेष्ट लोगों की संस्था थी– सभा सभ्यों जन : 3 इसी के विकास से समिति बनी[4] समिति राजा का चयन करती थी और उसे पदमुक्त भी कर सकती थी।[5] ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार परिवार था जिसे कुल कहा जाता था। इसका मुखिया कुलप कहा जाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश बनाते थे इसके प्रधान को विशपति कहा जाता था। विश से जन (गण) बनता था। इसके बाद राष्ट्र। उस समय प्रशासनिक इकाईया पांच हिस्सो मे बटी थी–कुल–ग्राम–विश–जन–राष्ट्र। इस काल में महिलाए राजनीति में सम्मिलित होती थी। सभा तथा विदथ परिषदों में महिलाओ की सक्रिय सहभागिता थी। वे सभा और समितियों में भी सक्रिय भागीदार थी[6]

रामायण और महाभारत काल में भी पंचायतो का उल्लेख मिलता है। इस काल में स्थानीय प्रशासन पर एवं जनपद नामक दो स्तरों में विभाजित था। महाभारत के शांति पर्व में ग्राम स्वशासन और पंचायतो के निर्वाचन तथा गठन का प्रमाण मिलता है। इस काल के पंचायत अधिकारियो में पुरोहित, सभापति और ग्रामणी और ग्राम योजक प्रमुख हुआ करते थे। ग्रामणी ही पंचायत का मुखिया होता था। ग्राम योजक का चुनाव ग्राम सभा द्वारा होता था। इस काल में सभा की स्थिति कमजोर हो गयी थी। महाभारत काल में सभा का कमजोर होना ही उस युद्ध के एक कारण के रूप में देखा जाता है। किसी समय हमारे महासाहित्यकारों की कृतियाँ जनपदों के जीवन में बद्धमूल थी। जिस समय वेदव्यास ने द्रौपदी की छवि का वर्णन करते हुए तीन वर्ष की श्वेत रंगवाली गाय को (सर्व श्वेतेव माहेयी वने जाताः त्रिहायानी दृ विराट पर्व 17–11) उपमान रूप में कल्पित किया, जिस समय वाल्मीकि ने अराजक जनपद का गीत गाया, जिस समय कालिदास ने मक्खन लेकर उपस्थित हुए ग्राम वृद्धों से राजा का स्वागत कराया (हैयंगविनमादाय घोशवृद्धानुपस्थितान) और जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सैकड़ों छोटे छोटे गाँव और बस्तियों के नाम लिखे और उनके बहुमुखी व्यवहारों की चर्चा की उस समय हमारे देश में और जनपद जीवन के बीच एक पारस्परिक सहानुभूति का समझौता था। दुर्भाग्य से रस प्रवाह के वे तंतु टूट गये। हमारे देश की जनता का नब्बे प्रतिशत भाग ग्राम और जनपदों में बसता है। उनकी संस्कृति देश की प्रधान संस्कृति है। हमारे राष्ट्र की समस्त परम्पराओं को लेकर ग्राम संस्कृति का निर्माण हुआ है। ग्रामो के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा में जनपद कहा जाता है। भारत के प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने गाँव में बसने वाली जनता के लिए "जानपद जन "द्य6 शब्द का प्रयोग किया द्य गाँव की जनता के लिए यह एक अतिशय सम्मानित शब्द है।

देश की प्राणभूत जनमानस के लिए अशोक के ह्रदय में कितना सम्मान था कितनी अगाध प्रीति थी इसका अनुमान अशोक के संबोधन से लगाया जा सकता है। जनता से साक्षात संपर्क रखने के लिए अशोक ने अनेक उपायों का अवलम्ब लिया। जनमानस से संपर्क की यात्रा को उन्होंने धर्म यात्रा का नाम दिया– जानपदसा च जनसा धर्मनुसधि च धम पालिपुछा च (अष्टम शिलालेख)। जहाँ पहले राजाओं को देखने के लिए प्रजा को जाना पड़ता था अब स्वयं सम्राट उनके बीच जाकर उनसे मिलने लगे। कितनी उदार भावना थी। महान इतिहासकार एच. जी. वेल्स ने कहा कि अशोक के ह्रदय से तुलना करने के लिए संसार का और कोई सम्राट सामने नहीं आता है।[7]

ग्राम स्वशासन एवं स्वायत संस्थाएं– चार्ल्स मेटकाफ का आग्रह है कि सीथियन, ग्रीक, अफगान, मंगोल, मुगल, डच और अंग्रेज जैसे आक्रान्ता भारत आये, अपना शासन भी स्थापित किये लेकिन स्थानीय स्वशासन के कारण ग्राम जीवन परम्पराएं, संस्कृति, रीती रिवाज उनसे उसी प्रकार अछूता रहे जैसे ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव से समुद्र तल का एक विशाल शिलाखंड। प्राचीन ग्राम पंचायतें (वेदोक्त पंचजना :) स्थानीय स्वशासन का सबल माध्यम थीं। वैदिक युग से मुगलों के आगमन तक कुल, ग्राम, विश, श्रेणी जन, गण आदि स्वशासन में समर्थ संस्थाएं थी। ये संस्थाएं निर्वाचित, स्वायत एवं विधिक संपन्न होती थी।[8]

मुगलकाल और पंचायती राज– 1526 ई में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। भारत पर मुगलों ने लम्बे समय तक शासन किया। मुगल काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई गाव थे। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। इस समय गावों का प्रबंध लंबरदारो, परिवारों और चोकीदारो के माध्यम से होता था। गॉव की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। कई गाव मिलकर एक परगना का निर्माण करते थे। पंचायतो के पंच के रूप में पांच व्यक्तियो को चुनने का एक निश्चित मापदंड था। एक विश्वसनीय व्यवस्था थी। अलग अलग पांच गुणों वाले व्यक्तियों को ही पञ्च के रूप में चुना जाता था। इन पांच व्यक्ति के प्रति समाज आदर भाव से अभिभूत होता था तथा उनका निर्णय सर्वमान्य होता था। यह एक प्रभावकारी प्रणाली थी। मुगल काल में स्त्री परदे तक सीमित हो गयी थी। इसीलिए पंचायतो में उनका समुचित प्रतिनिधित्व नही रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के आगमन के बाद मुगलकालीन पंचायतो में रुकावट आने लगी।

ब्रिटिश शासन भारत में शोषण, दमन और अत्याचार का प्रतीक थी। वह अपने सता विस्तार के लिए हर दमनार्तमक कार्य करने के लिए तत्पर थी। हर सुदृढ़ व्यवस्था को अपने सांचे में ढालकर काम करना चाहती थी। लार्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण को आवश्यक समझा और 1870 में शहरी नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारण का विकास हुआ।[9] इस समय वंगाल में पारम्परिक गाव पंचायत प्रणाली का शुभआरम्भ हो गया। इस अधनियम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को गावों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का विधान बनाया गया। 1880 से 1884 तक के लार्ड रिपन के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। 1882 के रिपन रेजोल्यूशन अधिनियम द्वारा उनसे स्थानीय स्वशासन को बढावा देने का अतिशय महत्वपूर्ण कार्य किया इसलिए उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 18 मई 1882 को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

बहुमत से निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड बनाया गया जिसका अध्यक्षता भी गैर सरकारी सदस्य को ही दिया गया। भारत में इसे भारतीय लोकतंत्र का मैग्नाकार्टा कहा गया।

मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा स्थानीय निकायों को अधिकतम स्वायतताकी व्यवस्था की गयी। 1925 तक आठ प्रान्तों में ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया गया (वंगाल गजेटियर)। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंचायतो को एक नया मंच प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन जारी रखने के लिए ऐसा कर रही थी इसीलिए पंचायती व्यवस्था को व्यवहारिक घरातल नही मिल सका।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को सुदुढ बनाने तथा इसे व्यवहारिक धरातल प्रदान करने का उत्तरदायित्व भारत सरकर पर आ गया। ग्रामीण विकास की दशा और दिशा तय करने तथा शासन में जन भागीदारी सुनिशिचत करने के लिए 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के प्रधानमंत्रित्व काल में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया (Joshi 2000)। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारम्भ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के उपलब्धियों तथा इसके सफल क्रियानवयन के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा वलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित यह पहली समिति थी। इस कमेटी ने नवम्बर 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिससे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण परविशेष बल दिया गया जिसे अंतिम रूप में पंचायती राज अधिनियम के रूप में जाना गया। इसी समय पंडित नेहरु द्वारा जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धनत भी सुझाया गया। जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था थी।[10]

– जनजातीय समुदाय का विकास उनकी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए उन पर विदेशी मूल्यों को नही थोपा जायेगा।
– भूमि और जंगल के मामले में उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा।
– उन्हें प्रशासन तथा विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
– बाहरी योजनाये उन पर नही थोपी जाएगी।
– परिणामो का संख्यात्मक आकलन की जगह गुणात्मक आकलन किया जाएगा।

2 अक्टूबर 1959 को गाँधी जयंती के अवसर पर राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का श्रीगणेश किया गया। फिर आंध्रप्रदेश में लागू किया गया। कुछ अन्य राज्यों ने भी इसे आंशिक रूप से अपनाया। संवेधानिक स्तर न प्राप्त होने के कारण राज्य सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान नही दिया। पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने था उस पर सही मार्ग दर्शन के लिए सरकार द्वारा कई समितियो का गठन किया गया।

1. बलवंत राय मेहता समिति (1957) – त्रिस्तरीय –ग्राम ,पखंड और जिला।
2. अशोक मेहता समिति (1977) – दो स्तरी ग्राम (मंडल स्तर) जिला स्तर।
3. जी .वी.के राव (1985) – जिला स्तर पर मजबूती के सिफारिश किया तथा पंचायती राज में कमियों के कारण उसे बिना जड़ की घास कहा।
4. एल.एम. सिंघवी (1986) – त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया।
5. पी.के थुंगन (1988) – संवेधानिक दर्जा तथा त्रिस्तरीय बनाने पर बल दिया।

पंचायती राज और 73वा व 74वा संविधान संशोधन– भारतीय संविधान के भाग चार के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा पंचायतों के गठन का विधान है। अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से सम्बंधित विधान बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है।[11] आज वैशविक फलक पर लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय तथा लोकहितकामी शासन पद्धति है द्यसत्ता का विकेंद्रीकरण इसकी प्रमुख विशेषता है। पंचायती राज को जनोन्मुख बनाने तथा लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण और संवेधानिक स्तर प्रदान करने के लिए 1992 में 73वा संविधान संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया उपबंध भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुछेद 243 से 243–0 के प्रावधान सम्मिलित किया इस अधिनियम द्वारा संविधान में 11वी अनुसूची सम्मिलित की गयी और इसके माध्यम से पंचायतो को 29 कार्यात्मक विषय प्रदान किया गया। 74वे संविधान संसोधन द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों का गठन करने का उपबंध किया गया। इसमे भाग ix & A अनुच्छेद 243 च से 243 ZG तक की व्यवस्था की गयी। संविधान में 12वी अनुसूची को जोड़ा गया और नगर पालिकाओ को 18 कार्यात्मक विषय दिया गया।

स्थानीय समुदायों की राजनितिक सहभागिता, सशक्तिकरण, महिलाओं की राजनीतिक, सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय समुदायों की निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी जवाबदेही और पारदर्शिता के क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयोग रहा। विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए निर्यणन प्रक्रिया में महिला सहभागिता 73वे संविधान संशोधन की विशष्ट विशेषता है। ग्राम पंचायतो में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित किया गया। अब तो अधिकांश राज्यों में यह 50 प्रतिशत किया गया है। जनजातीय क्षेत्रो में इसे मजबूत बनाने तथा जनजातीय समाज का स्थानीय स्वशासन में सहभागिता बढ़ाने पर भी विमर्श तेज हो गया। 1995 में भूरिया समिति के प्रतिवेदन आने के बाद इस विमर्श को व्यवहारिक घरातल पर लाया गया जिसकी परिणिति पंचायत विस्तार अधिनियम {(अनुसूचित क्षेत्र) (PESA)} के रूप में हुई।

पेशा अधिनियम पंचायती राज्य व्यवस्था का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। यह जनजातीय स्वायतता के बिन्दुओं को स्पष्ट करता है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रो में रहने वाली जनजातीय आबादी को स्वायतता प्रदान कर उनकी अपनी संस्कृति में विकास के मानक निधार्रित कर उसे उपयोगी बनाने का अधिकार प्रदना करता है। यह अधिनियम ग्राम सभा को केन्द्रीय स्थिति

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

में रखता है। इसकी एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा। ग्राम सभा के सभी निर्णय ग्राम समिति द्वारा लिए जाते है। पेशा अधिनियम द्वारा ग्राम सभाओ को व्यापक अधिकार प्रदान किये गये है[12] लोकतन्त्र मुलत : विकेन्द्रीकरण पर ही आधारित होता है। शासन के उच्च स्तर पर लोकतंत्र तब–तक सफल नही हो सकता जब तक निचले स्तर पर लोकतान्त्रिक मूल्यों और विश्वासों को मजबूत आधार न प्राप्त हो जाय।

वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज्य अद्वितीय प्रतिमान स्थापित क्र रहा है। पंचायती राज में महिला सक्रियता और सहभागिता उतरोतर बढ़ रही है। आज 2.5 लाख पंचायतो में 32 प्रतिनिधि चुनकर आते है। इन में 14 लाख से अधिक महिलाये है। उनकी संख्या उनकी सक्रिय सहभागिता का संकेत है। इससे गाँव में व्याप्त असमानता भी समाप्त हो रही है (चौधरी 2018)। पंचायत विस्तार (अनुसुचित क्षेत्र) अधिनिम के क्रियान्यवन से बड़े राज्यों आंध्रप्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिश, राजस्थान और हिमांचल प्रदेश में जनजातीय समुदाय को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में अनुसूचित जनजातियो के लिए 240,000 सीटे आरक्षित कर दी गयी है। इस समय जनजातियो के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 2,22,600 है जिसमें आधे से अधिक महिलाये है। आज देश में पंचायती राज संस्थाओ (पी, आर, आइ) में निर्वाचित हमिला प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकर है–

क्रम	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	कुल.पी.आर. आई प्रतिनिधि	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	838	306
2.	आंध्रप्रदेश	15606	78025
3.	अरुणाचल प्रदेश		
4.	असम	26754	14609
5.	बिहार	136573	71046
6.	छत्तीसगढ़	170465	93392
7.	दादर नगर और हवेली	147	47
8.	दमन और दीव	192	92
9.	गोवा	1555	571
10.	गुजरात	144080	71988
11.	हरियाणा	70035	29499
12.	हिमाचल प्रदेश	28723	14398
13.	जम्मू और कश्मीर	39850	13224
14.	झारखण्ड	59630	30757
15.	कर्नाटक	101954	51030
16.	केरल	18372	9630
17.	लदाख	उपलब्ध नही	
18.	लक्षद्वीप	110	41
19.	मध्यप्रदेश	392981	196490
20.	महाराष्ट्र	240635	128677
21.	मणिपुर	1736	880
22.	मेघालय	107487	56627
23.	पुडुचेरी	उपलब्ध नही	
24.	पंजाब	100312	41922
25.	राजस्थान	126271	64802
26.	सिक्किम	1153	580
27.	तमिलनाडु	100450	56407
28.	तेलंगाना	103468	52096
29.	त्रिपुरा	6646	306
30.	उत्तरप्रदेश	913417	304538
31.	उत्तराखंड	59229	300458
32.	पश्चिम बंगाल	59229	30458
33.	कुल	3187320	14539735
स्रोत 2011 के जनगणना के आकड़ें			

उपर के आकड़ें इस बात के संकेत है कि पंचायती राज व्यवस्था ने एक वैकल्पिक महिला राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया। संरक्षण की इस व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से पिछड़ी महिलाओ के साथ साथ महिला समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जिसके आधार पर वे अपनी विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन एवं परिवर्धन कर सकती है। इस व्यवस्था ने महिला की स्वतंत्रता को आकाश तो दिया पर महिला सहभागिता में आज भी कुछ बाधाएं है। उनकी सहभागिता के कुछ जटिल अवरोधक इस प्रकार है (सिंह, 2012)–

1 . शिक्षा का निम्न स्तर।
2. प्रशिक्षण का आभाव।
3 . स्थानीय दलालों का प्रभाव।
4 . महिला प्रतिनिधियों के प्रति हिंसात्मक कार्य।
5 . सामाजिक समस्याये।
6 . पारिवारिक पृष्ठभूमि।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

7 . जटिल जातिगत व्यवस्था।

8 . संकीर्ण मानसिकता।

सफलता हेतु आवश्यक सुझाव– सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र का मूलाधार होता है। गाँधी जी की मान्यता थी की–"सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे 10 या 20 लोगो से नही चल सकती, उसे हर आदमी द्वारा चलायी जानी चाहिए। " पंच्यती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओ की सफल और सक्रिय सहभागिता के लिए कुछ अवश्य सुझाव इस प्रकार हो सकते है।

1. सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाए।
2. उनके प्रशिक्षण व्यवाहरिक हो तथा उनके अनुभव साझा किये जाये।
3. उनकी भूमिका को चिन्हित किये जाए।
4. उनकी रूचि के अनुसार कार्य आवंटित हो।
5. निरक्षरता के कारण आने वाली बाधाओ को दूर किया जाए।
6. सामुदायिक सम्पतियों के फैसले पर महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।
7. नौकरशाही की जगह आपसी सदभाव से कार्य निस्तारण किया जाय।
8. निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।

उपसंहार– लोकतंत्र सुशासन की सर्वोत्तम प्रणाली है। विकेंद्रीकरण इसका मूलाधार है। सभी का समुचित प्रतिनिधितव इसकी विशिष्ट विशेषता है। स्वायतशासी संस्थाए इसकी नीव समझी जाती है। पंचायती राज व्यवस्थाऐ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप है। और विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का अवलम्ब। भारतीय राष्ट्र निर्मताओ का आग्रह था की सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। व्यावहारिक धरातल पर स्थितिया कुछ पूर्वाग्रहयुक्त दृष्टिगत होती है। अगर पत्नी है तो कमतर है, बहन है तो निरीह है। बेटी है तो उसे जन्म लेने पर भी संकट है। सिमोन डी बुआ की कृति सेकेण्ड सेक्स में यह उल्लेख मिलता है की कृषि युग के बाद उसने वापस अपनी सम्पूर्णता प्राप्त कर ली किन्तु कालान्तर में औरत बाध्य हुई अन्यो की भूमिका निभाने के लिए कभी वह गुलाम रही, कभी देवी बनी, किन्तु अपने मानव रूप का चुनाव कभी न कर सकी। अगर स्त्री पुरुष साक्षरता को देखा जाए, तब भी एक स्याह पक्ष सामने आता है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण के प्रति एक वैचारिक क्रांति अवश्य उत्पन किया है। जागरूकता भी आयी है पर व्यवहारिक स्थिति आज भी चिंताजनक है इसलिए कल्पना की कामनामयी दुनिया से बाहर आकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण, पृथ्विपुत्र सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 2009 पृ. 34.
2. अथर्ववेद, 19.55.5
3. अथर्ववेद, 8.10.2 –8.
4. अथर्ववेद, 5.19.6.
5. Elvin, Hust (2004), Women's Political Representation & Empowerment in India, Manohar Publication.
6. गौतम, पी.एल,, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, दिल्ली 2009 पृ. 184.
7. बंगाल गजेटियर, 1927, xix.
8. जोशी आर. पी नरवानी पंचायत राज इन इण्डिया इमर्जिंग ट्रेंड्स रावत प्रकाशन जयपुर 2007 पृ. 94.
9. हसनैन, नदीम, जनजातीय भारत।
10. एम. लक्ष्मी कान्त भारतीय शासन व्यवस्थ एव राजनीति।
11. आर ,एन. मुखर्जी, सामाजिक मानवशास्त्र की रुपरेखा, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, (2022),
12. चौधरी, कृष्ण चंद. पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी , कुरुक्षेत्र ,जुलाई 2018.
13. सिंह, सीताराम, बिहार मे ग्रम पंचायत एवं सुशासन, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2013 पृ. 170.

*****